

आअदालत -सहायक कलक्टर मुकाम - तारानगर

सुशीला कंवर आदि बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा -वाद पत्र नं. 3.29..... सन् 2025


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी
12-12-2025	<p>ग्रामीण सेवा शिविर 2025 झाड़सर कांधलान में कृषि भूमि खाता सं. 246 के ख.नं. 313 तादादी 2.5669 हैक्टेयर, ख.नं. 341 तादादी 2.5922 हैक्ट., ख.नं. 351 तादादी 8.3583 हैक्ट., रोही ग्राम झाड़सर कांधलान भूमि का आपसी सहमति से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत विभाजन मय नजरी नक्शा के तहसीलदार तारानगर के समक्ष पेश किया गया। भूमि वित्तिय संस्थान के रहन दर्ज होने के कारण विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा को प्रेषित किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर के पत्र क्रमांक एल.आर-2025/01 दिनांक 17.10.2025 से प्राप्त प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के उक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम से सहखातेदारी दर्ज है तथा सभी सहखातेदार इकरारनामा खाता विभाजन करने हेतु सहमत है। उक्त भूमि बैंक के पक्ष में रहन दर्ज है। वित्तिय संस्थान के अनुपस्थित रहने पर उनके वित्तिय हित सुरक्षित रखते हुए तहसीलदार तारानगर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक एल.आर-2025/01 दिनांक 17.10.2025 के अवलोकन उपरान्त विवादित कृषिभूमि का विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खाता सं. 246 के ख.नं. 313 तादादी 2.5669 हैक्टेयर, ख.नं. 341 तादादी 2.5922 हैक्ट., ख.नं. 351 तादादी 8.3583 हैक्ट., रोही ग्राम झाड़सर कांधलान का खाता विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि ख.नं. 313 मीन 1.2835 हैक्टेयर, ख.नं. 351 मीन 5.4752 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 6.7587 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया गया है जो सुशीला कंवर पत्नी सिकन्दर दान जाति चारण निवासी झाड़सर कांधलान के हक हिस्सा में एवं ख.नं. 341 मीन 2.5922 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल तादादी 6.7587 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग भूरा से दर्शाया गया है जो समुन्द्र दान पुत्र रूघ दान जाति चारण निवासी झाड़सर कांधलान के हक हिस्सा में रहेगा। जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। तहसीलदार तारानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसार खातेदारों का अलग से खाता विभाजन करते हुए दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व नक्शों में अमल दरामद करें।</p>	



*Jayendra*

FORM NO. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

आअदालत -सहायक कलक्टर मुकाम - तारानगर  
सुशीला कंवर आदि बनाम राजस्थान सरकार  
किस्म मुकदमा -वाद पत्र नं. .... सन् 2025

ब्र हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की हुकम की तारीख जारी हुकम
	<p>तहसीलदार तारानगर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक एल.आर-2025/01 दिनांक 17.10.2025 तथा नकल नक्शा व पटवारी रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार तारानगर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p></p> <p><i>Dayend</i></p>	

# डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

(civil procedure code Appendix 'D')

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर

पीठासीन अधिकारी :- राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान सुशीला कंवर आदि बनाम राजस्थान सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 329 वर्ष 2025

यह मुकदमा वास्तुतः इनफिसाल कतई रूपत हमारे हाजरी सुशीला कंवर, समुन्द्र दान मिनजानिद मुदई एवं राजपैरोकार मिनजानिद मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता तथा अतः वाद वादीगण वक्तये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि खाता सं. 246 के ख.नं. 313 तादादी 2.5669 हैक्टयर, ख.नं. 341 तादादी 2.5922 हैक्ट., ख.नं. 351 तादादी 8.3583 हैक्ट., रोही ग्राम झाडसर कांचलान का खाता विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि ख.नं. 313 मीन 1.2835 हैक्टयर, ख.नं. 351 मीन 5.4752 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 6.7587 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया गया है जो सुशीला कंवर पुत्नी सिकन्दर दान जाति चारण निवासी झाडसर कांचलान के हक हिस्सा में एवं ख.नं. 341 मीन 2.5922 हैक्टयर, कुल किता 3 कुल तादादी 6.7587 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग नूरा से दर्शाया गया है जो समुन्द्र दान पुत्र रुघ दान जाति चारण निवासी झाडसर कांचलान के हक हिस्सा में रहेगा। जिन खातेदारों की भूमि बरंग रहन है वह यथावत बँक रहन रहेंगी। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा एवं पत्थारी रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना बहन करेंगे।

बीज \_\_\_\_\_ मुदालिग \_\_\_\_\_ वायत \_\_\_\_\_ खर्चा इत्त मुकदमें के नय सूद व शरह \_\_\_\_\_ फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक \_\_\_\_\_ को अदा करें। मैंने दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 12 सन 2025 को जारी की गई।

*Rajendra Kumar*  
(राजेन्द्र कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)

मुदई	रूपया	पं.	मुदायलाहा	रूपया	पं.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			दायत इजराय हुक्मनामा		
दायत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

मुहर